

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल एवं समुचित सरकार,

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 22 अ-82/2019-20 मौजा - दुनई/12929 बैतूल दिनांक 4/12/2019  
प्रारंभिक अधिसूचना

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	दुनई	13.150	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	काठी लघु जलाशय

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	बाया बाई जौ हिराजी पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	17/1	0.333	0.283
2	पुष्पलता बेवा पुनाजी प्रतेश व. पुनाजी विक्षा पिता पुनाजी देवाजी गणेश व. शंकरलाल जाति पंवार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	18/2	0.47	0.47
		280/2	0.419	0.083
		282	0.271	0.271
3	बंशीलाल व. भीलू जाति पंवार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	17/2	0.333	0.200
		18/9	0.121	0.121
		280/6	0.221	0.221
4	शंकर व. भीलू जाति पंवार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	18/8	0.121	0.121
		280/5	0.012	0.012
5	नाही पिता इठोबा जाति पंवार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	18/4	0.202	0.202
		18/5	0.202	0.202
		18/6	0.809	0.809
		18/12	0.13	0.13
		18/13	0.13	0.13
6	साहेबलाल व. भीलू जाति पंवार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	18/7	0.303	0.203
		280/1	0.31	0.05
7	रजनी जौ. देवाजी जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी	18/11	0.121	0.121
		18/16	0.121	0.121

8	फगन्या मनोहर दिनेश गणेश व. सावजी हीरा जौ. भिवजी कमल पिता सावजी जानकी बेवा सावजी जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी लक्ष्मण व. भिवजी मुन्नी लल्लावती पिता भिवजी हीरा बेवा भिवजी जाति पंवार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	20	1.137	0.668
9	सुन्दर जौ. शंकर पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	275/1	0.275	0.275
10	रामा व. कलीराम पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	281/1	0.288	0.288
11	पांची बे. विहारी मधु विपत व. बिहारी सकूल बे. मानिकराव अशोक अनिल पप्पू गब्बर व.	305/4	0.242	0.100
		307/1	0.121	0.121
		309/4	0.106	0.053
12	सिरी व. रावजी शंकर व.	300/1	0.232	0.232
13	शंकर दमडया सिरी सिरपत गणपत दलपत व. रावजी	300/2	0.657	0.200
		306/2	0.127	0.120
14	झुनिया पिता काशीराम जाति	306/1	0.043	0.043
15	राम गणपति शिव शंकर व. कलीराम जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी	281/4	0.117	0.117
		285	0.263	0.263
		287/1	0.093	0.093
		290	2.792	2.00
		292	0.906	0.906
16	शिवराम व. भिकारी पता निवासी सा. देह भू-स्वामी	281/5	0.622	0.542
17	राम प्रसाद व. भिकारी जाति पंवार पता निवासी सा. देह	281/11	0.131	0.131
		281/12	0.081	0.081
18	रेवाजी व. डोमा जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी	289/2	0.061	0.061
		289/5	0.944	0.64
19	रतनलाल व. शिवलाल जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी	289/4	1.000	0.672
20	कन्हैया व. भोलू जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी	18/10	0.770	0.121
		18/15	0.224	0.168
21	नान्हू व. लल्लू जाति पंवार	305/2	0.120	0.120
22	नन्हेलाल व. भीलू जाति पंवार	18/14	0.081	0.081
23	जियालाल व. अर्जून बायजा बे. अर्जून शांती मगी जैना पिता अर्जून जाति पंवार	305/3	0.230	0.073
		295/4	0.224	0.224
		309/1	0.406	0.025
24	रामा व. कलीराम पता सा. देह भुमि स्वामी	286	0.223	0.223

25	लक्ष्मण व. लल्लु सा. देह जाति पंवार भुमि स्वामि	309/3	0.082	0.041
26	पांची बे. बिहारी मधु विपत व. बिहारी सकुल बे. मानिकराव अशोक अनिल पप्पू गब्बर व. मानिकराव संतोषी पिता मानिकराव सारजी माहो मीरा मुन्नी पिता बिहारी जाति पंवार पता निवासी सा. देह भु-स्वामि	309/4	0.106	0.053
		298/9	0.140	0.140
		298/7	0.160	0.076
27	नान्हु व. लल्लु	298/11	0.225	0.225
28	जियालाल व. अर्जुन	307/2	0.141	0.135
		298/8	0.358	0.089
कुल योग			18.357	13.150

1- चूंकि काठी लघु जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अंतर्गत सामाजिक समाघात हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www. betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार,



(तेजस्वी एस. नायक)

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ०क० 22 अ-82/वर्ष 19-20/दुनई/1 2029  
प्रतिलिपि:-

बैतूल दिनांक 12-2019

- 1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म०प्र० भोपाल की ओर म०प्र० राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में ) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
- 3- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 4- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताईकी ओर ( दो प्रतियों में ) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में ) में अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 9- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत दुनावा तहसील मुलताई जिला बैतूल (म०प्र०) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित।

  
अपर कलेक्टर

एवं प्र०अ० भू-अर्जन, बैतूल

